अनुदान संख्या 11 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11 – DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*1,00,00*	*1,14,00*	*47,56*	*-66,44*
पूरक	*Supplementary*	*14,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	4054,82,00	4054,85,00	3868,09,17	-186,75,83
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				178,46,19
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		971,68,00	825,08,83	-146,59,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				145,63,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹66.44 लाख*) दिसम्बर, 2012 और मार्च 2013 में प्राप्त किए गए *₹14.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत *विनियोग* का 58 प्रतिशत थीं।

(I) *₹4.00 लाख* का पूरक *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹59.23 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 59 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(₹66.44 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *₹14.00 lakhs* obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 58 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) Supplementary *appropriation* of *₹4.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) Under one head saving of *₹59.23 lakhs* occurred constituting 59 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	6957.00	6764.25	6704.74	-59.51
पु.	R.	-192.75			
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	9526.00	8095.45	8064.88	-30.57
पु.	R.	-1430.55			
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	57653.00	64441.00	64395.00	-46.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	6786.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	14000.00	..	..	..
पु.	R.	-14000.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	317346.00	308338.11	307644.55	-693.56
		1.00			
पु.	R.	–9008.89			

(I) ₹14997.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹14625.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407"-

(क) "कॉफी - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - कॉफी बोर्ड"- ₹500.00 लाख; और

(ख) "मसाले - अन्य व्यय - मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास को अदायगी"- ₹125.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "चाय - अन्य व्यय"-

(i) "चाय उत्पादकों और अन्यों को सहायता"- ₹8200.00 लाख;

(ii) "अनुसंधान और विकास"- ₹800.00 लाख;

(ख) "कॉफी - अन्य व्यय - कॉफी उत्पादकों और अन्यों को सहायता"- ₹550.00 लाख;

(ग) "रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्यों को सहायता"- ₹3450.00 लाख; और

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - मसाले उत्पादकों और अन्यों को सहायता"- ₹1000.00 लाख।

(I) Provision of ₹14997.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2012) remained wholly unutilized under twenty one heads; of these ₹14625.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" –

(a) "Coffee – Special Component Plan for Scheduled Castes – Coffee Board" – ₹500.00 lakhs; and

(b) "Spices – Other Expenditure – Payment to Price Stabilization Fund Trust under Price Stabilization Fund Scheme" – ₹125.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from implementing agencies.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Tea - Other Expenditure"-

(i) "Assistance to Tea growers and others" - ₹8200.00 lakhs;

(ii) "Research and Development"- ₹800.00 lakhs;

(b) "Coffee – Other Expenditure - Assistance to Coffee growers and others" – ₹550.00 lakhs;

(c) "Rubber - Other Expenditure - Assistance to Rubber growers and others" – ₹3450.00 lakhs; and

(d) "Spices – Other Expenditure - Assistance to Spices growers and others"– ₹1000.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वाणिज्य विभाग" के अंतर्गत ₹252.26 लाख की बचत (₹6957.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई); और

(III) मुख्य शीर्ष "2057" - "खरीद - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय" के अंतर्गत ₹1364.52 लाख की बचत (₹6441.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "चाय"-

(क) "उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी - चाय बोर्ड" - ₹200.00 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पुनर्रोपण के लिए आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड" - ₹1683.00 लाख की बचत (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "कॉफी - रोपण के लिए आर्थिक सहायता - कॉफी बोर्ड" - ₹500.00 लाख की बचत (₹4850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" "Secretariat - Department of Commerce" - saving of ₹252.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6957.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2057" "Purchase - D.G.S. & D." - saving of ₹1364.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 6441.30 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies and reduction of plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance

(IV) Under Major Head "2407" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Tea" –

(a) "Payment against collection of Cess – Tea Board" – saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies and economy measures.

(b) "Subsidy for replantation – Tea Board" – saving of ₹1683.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs);

(B) "Coffee – Subsidy for Plantation – Coffee Board" – saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4850.00 lakhs);

(गा) “रबड़ - उपकर के संग्रहण संबंधी अदायगी - रबड़ बोर्ड” - ₹1700.00 लाख की बचत (₹16300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ;

(C) “Rubber – Payment against collection of Cess – Rubber Board” – saving of ₹1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16300.00 lakhs);

(V) मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head “3453”- savings occurred under the following heads:-

(का) “निर्यात का गुणता नियंत्रण - निर्यात निरीक्षण परिषद” - ₹172.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Quality Control of Export - Export Inspection Council”- saving of ₹172.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs);

(खा) “अन्य व्यय” -

(B) “Other Expenditure” -

(क) “समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण” - ₹1675.00 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “Marine Products Export Development Authority” - saving of ₹1675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs);

(ख) “कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण” - ₹3000.00 लाख की बचत (₹18100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “Agricultural Products Export Development Authority”- saving of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18100.00 lakhs);

(ग) “डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र” - ₹195.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) “Centre for WTO Studies” – saving of ₹195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs);

(घ) “बाजार पहुंच संबंधी पहल - निर्यात अध्ययन” - ₹500.00 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(d) “Market Access Initiative – Export Studies” – saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(ङ) “आधुनिकीकरण और उन्नयन”- ₹412.85 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(e) “Modernization and Upgradation” - saving of ₹412.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(च) “संस्थाओं को सहायता”- ₹750.00 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(f) “Assistance to Institutions” – saving of ₹750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs).

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above ten heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies and reduction of plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता" - ₹4934.88 लाख की बचत (₹135000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानित निर्यात पर आयात कर वापसी के कम दावे/प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance to Export Promotion and Market Development Organizations"- saving of ₹4934.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/proposals of Duty drawback on Deemed Exports.

(घा) "अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन"- ₹443.08 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(D) "International Cooperation – Other Organizations" - saving of ₹443.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to receipt of less claims from International Organizations and economy measures.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹163.92 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से 11 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under two heads savings of ₹163.92 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 11 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹734.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2407"- "कॉफी - उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगियां - कॉफी बोर्ड" के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3.(I) The above savings were partly (₹734.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "2407" - " Coffee - Payments against collection of Cess- Coffee Board".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407"-

(A) Major Head "2407" –

(क) "चाय - अन्य व्यय- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें"- ₹6750.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Tea – Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- excess of ₹6750.00 lakhs (against nil provision);

(ख) "कॉफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें"- ₹513.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें"- ₹2900.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें"- ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453"-

(क) "विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक"- ₹345.90 लाख का अधिक व्यय (₹8640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और अभिलेखों के संग्रहण के लिए किराए पर लिए गए आवास के किराए के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त" - ₹1695.40 लाख का अधिक व्यय (₹11225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में तैनात अधिकारियों के दौरा व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, किराए के आवास के किराए में वृद्धि होने और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के कारण हुआ।

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व व्यापार संगठन को अंशदान"- ₹400.00 लाख का अधिक व्यय

(b) "Coffee – Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" – excess of ₹513.00 lakhs (against nil provision);

(c) "Rubber – Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" – excess of ₹2900.00 lakhs (against nil provision); and

(d) "Spices – Other Expenditure – Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" – excess of ₹1000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3453" -

(a) "Foreign Trade Control – Director General of Foreign Trade"- excess of ₹345.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8640.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and rent of hired accommodation for storage of records.

(b) "Trade Representation - Trade Commissioners"- excess of ₹1695.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11225.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards tour expenses of foreign based officers, increase in rent of hired accommodation and additional dearness allowance.

(c) "International Cooperation – Contribution to the World Trade Organisation" – excess

(₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में घटबढ़ होने में कारण हुआ।

of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to fluctuations in international currencies.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹164.22 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 281 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹164.22 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent and 281 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	7000.00	..	..	..
पु.	R.	-7000.00			
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	80168.00	72605.00	72508.83	-96.17
पु.	R.	-7563.00			

(I) ₹7000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंचरण के विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण

(I) Provision of ₹7000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4552" - "General - Capital Outlay on Foreign Trade - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" - due to re-appropriation of funds to functional heads for

पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "आधुनिकीकरण और उन्नयन"- ₹196.17 लाख की बचत (₹4165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "निर्यात अवसरंचना के विकास और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" - ₹7450.00 लाख की बचत (₹66600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5453"- "General – Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Modernization and Upgradation"- saving of ₹196.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4165.00 lakhs); and

(B) "Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities"- saving of ₹7450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies and reduction of plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.